मोबाइल फोन विनिर्माण योजना: उत्पादन से मूल्य सृजन तक

समाचार संदर्भ: 21 अगस्त 2026 की अधिसूचना | उद्योग • तकनीक | GS-III

भारत में फोन बनना और फोन के डिजाइन, पुर्जों तथा ब्रांड से बनने वाला मूल्य भारत में रहना अलग बातें हैं। नई विनिर्माण नीति का प्रश्न इसी अंतर को घटाने का है।

खबरों में क्यों

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को ₹62,500 करोड़ के परिव्यय वाली मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) अधिसूचित की। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को इसे स्वीकृति दी थी। अगस्त का नया संदर्भ अधिसूचना है, पहली मंत्रिमंडलीय मंजूरी नहीं। योजना का जोर उत्पादन बढ़ाने के साथ घरेलू मूल्यवर्धन और भारतीय मोबाइल ब्रांडों को समर्थन देने पर है।

घरेलू मूल्यवर्धन क्या है?

उत्पाद के कुल मूल्य में देश के भीतर बने मूल्य का योगदान घरेलू मूल्यवर्धन है। केवल आयातित पुर्जे जोड़कर तैयार फोन का पूरा बिक्री मूल्य घरेलू योगदान नहीं बन जाता। स्थानीय पुर्जे, डिजाइन और तकनीकी क्षमता बढ़ने से मूल्य का बड़ा हिस्सा देश में रह सकता है।

मुख्य तथ्य

दो लक्षित क्षेत्र: एक भाग मोबाइल फोन विनिर्माण का विस्तार करता है; दूसरा भारतीय मोबाइल ब्रांडों को समर्थन देता है। भारत में पंजीकृत कंपनी होना और योजना की परिभाषा में भारतीय ब्रांड होना समान नहीं है।

अवधि और सहायता: योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्ष के लिए है। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन के साथ घरेलू पुर्जों की खरीद, भारतीय डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास को भी समर्थन दिया गया है। लाभ पात्रता और शर्तों पर निर्भर हैं।

ब्रांड का वास्तविक स्वामित्व: भारतीय ब्रांड की कसौटी में भारत में बौद्धिक संपदा और ट्रेडमार्क, भारतीय नागरिकों का प्रबंधन नियंत्रण, 51 प्रतिशत से अधिक भारतीय नागरिक हिस्सेदारी तथा देश में अपनी डिजाइन और अनुसंधान क्षमता जैसे तत्व शामिल हैं। केवल भारतीय नाम पर्याप्त नहीं है।

असेंबली से आगे बढ़ना क्यों जरूरी है?

मूल्य और क्षमता: अंतिम उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है, जबकि महत्त्वपूर्ण पुर्जे और तकनीक बाहर से आते रहें। स्थानीय क्षमताएँ बढ़ाना अधिक आर्थिक मूल्य और सीखने के अवसर दे सकता है।

आपूर्ति का जोखिम: घरेलू आपूर्तिकर्ता विकसित होने से कुछ बाहरी निर्भरताएँ घट सकती हैं। लेकिन हर आयात तुरंत बदलना संभव नहीं; गुणवत्ता, लागत और पैमाने की जरूरत साथ देखनी होगी।

ब्रांड और नवाचार: अपना ब्रांड तभी टिकेगा जब वह प्रतिस्पर्धी उत्पाद, डिजाइन, वितरण और बिक्री-पश्चात सेवा दे सके। अनुदान अपने आप उपभोक्ता का भरोसा नहीं बनाता।

विश्लेषण और आगे की राह

प्रोत्साहन का मूल्यांकन केवल तैयार फोन की संख्या और निर्यात राशि से न हो। स्थानीय पुर्जों के वास्तविक योगदान, अनुसंधान, कौशल, रोजगार की गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ताओं की उत्पादकता भी देखें। सहायता की शर्तें स्पष्ट हों और दावों की जाँच हो, ताकि केवल नाम बदलकर या मौजूदा गतिविधि को नया बताकर लाभ न मिले। साथ में परीक्षण सुविधाएँ, कुशल श्रमिक, विश्वसनीय बिजली और लॉजिस्टिक्स आवश्यक हैं। वैश्विक मूल्य-श्रृंखला से जुड़ाव और घरेलू क्षमता निर्माण को विरोधी लक्ष्य मानने के बजाय उनमें संतुलन बनाना चाहिए।

अवधारणा में अंतर

बजटीय परिव्यय खर्च हो चुकी राशि नहीं है। सरकारी अनुमान के लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार और ₹39 लाख करोड़ संचयी उत्पादन अपेक्षित परिणाम हैं, पहले से हासिल उपलब्धियाँ नहीं।

मेंस दृष्टि

GS-III में औद्योगिक नीति, रोजगार, आपूर्ति-श्रृंखला और तकनीकी आत्मनिर्भरता। उत्तर में उत्पादन का पैमाना और देश में बचने वाला मूल्य अलग दिखाएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

मोबाइल फोन विनिर्माण में उत्पादन बढ़ना घरेलू तकनीकी क्षमता और मूल्यवर्धन बढ़ने की पर्याप्त शर्त नहीं है। भारत की औद्योगिक नीति के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: तैयार फोन का उत्पादन बढ़ना और उसका अधिक मूल्य देश में बनना अलग उपलब्धियाँ हैं। आयातित पुर्जों की असेंबली से पूरा बिक्री मूल्य घरेलू तकनीकी योगदान नहीं बन जाता।

मुख्य भाग में: MPMS के उत्पादन और भारतीय ब्रांड संबंधी भागों को स्थानीय पुर्जों, डिजाइन, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा से जोड़ें। भारतीय नाम या पंजीकरण को वास्तविक भारतीय स्वामित्व न मानें। सहायता के साथ आपूर्तिकर्ता विकास, परीक्षण, कौशल, बिजली और लॉजिस्टिक्स चाहिए। गुणवत्ता, लागत और पैमाना बनाए बिना आयात प्रतिस्थापन या ब्रांड टिकना कठिन है। प्रोत्साहन दावों और वास्तविक मूल्यवर्धन की जाँच हो; रोजगार की गुणवत्ता भी देखें।

निष्कर्ष में: वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में भागीदारी के साथ घरेलू क्षमता बढ़ाना लक्ष्य हो। सफलता केवल फोन और निर्यात की संख्या से नहीं, देश में बने मूल्य तथा नवाचार से आँकें; परिव्यय और अपेक्षित रोजगार को खर्च तथा हासिल रोजगार न बताएँ।

स्रोत

- योजना की अधिसूचना और आधिकारिक विवरण, 21 अगस्त 2026
- मंत्रालय की मूल राजपत्र अधिसूचना
- पूर्व मंत्रिमंडलीय स्वीकृति, 15 जुलाई 2026

याद रखें: फोन की पूरी बिक्री को घरेलू मूल्यवर्धन और अपेक्षित रोजगार को सृजित रोजगार न मानें।